

न्याया:-विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

समक्ष – वीरेन्द्र सिंह राजपूत

विशेष सत्र प्रकरण क्र0 68/2012

संस्थापन दिनांक-18-05-2012

म0प्र0 म0क्षे0विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड मालनपुर

द्वारा- कनिष्ठयंत्री हरीश मेहता

.....परिवादी

बनाम

गजेन्द्र सिंह वैश्य पुत्र श्री सोवरनसिंह, उम्र 47 वर्ष,
निवासी कुशवाह कॉलोनी, हरीराम पुरा, मालनपुर,
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

परिवादी द्वारा श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता।

आरोपी द्वारा श्री एस0एस0 तोमर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 04.10.2017 को घोषित किया गया)

01. आरोपी के द्वारा उसे प्रदत्त विद्युत कनेक्शन पर विद्युत विल की राशि बकाया होने से उक्त कनेक्शन को दिनांक 28.11.2011 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु चैकिंग के दौरान दिनांक 08.12.2011 को आरोपी के द्वारा उक्त कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में आरोपी पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 का आरोप लगाया है।

02. परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी जो कि म0प्र0म0क्षे0 विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मालनपुर में कनिष्ठयंत्री के पद पर पदस्थ था जो कि परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता गजेन्द्र सिंह वैश्य पुत्र सोवरनसिंह निवासी कुशवाह कॉलोनी हरीराम पुरा मालनपुर को विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-1-5927 डी.एल. घरेलू प्रकाश हेतु दिया गया था। उपभोक्ता के उक्त कनेक्शन पर बिल की बकाया राशि रूपए 68,091/- रूपए होने से और बिल जमा न करने के कारण दिनांक 11.11.2011 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस भेजा गया। तत्पश्चात् कनिष्ठयंत्री द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आरोपी के द्वारा उक्त कनेक्शन का

उपयोग किया जा रहा है। तत्पश्चात् उक्त कनेक्शन को दिनांक 28.11.2011 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया और विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश आरोपी को दिया गया। दिनांक 08.12.2011 को कनिष्ठयंत्री हरीश मेहता एवं सहकर्मचारी गणेशराम बाथम, लाखनसिंह, रामजीलाल के साथ आरोपी के उक्त कनेक्शन को पुनः निरीक्षण करने पहुँचे तो पाया कि आरोपी ने उक्त कटे हुए कनेक्शन को पुनः आपराधिकृत रूप से एल.टी. लाइन से सीधे तार जोड़कर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते पाया गया। जिस संबंध में भूपालशरण ए.ई. द्वारा पंचनामा तैयार किया गया जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् परिवादपत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया।

03. परिवाद प्रस्तुत करने पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोप आरोपित कर पढ़कर सुनाया, समझाया गया तो आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उसका अभिवाक् अंकित किया गया तत्पश्चात् परिवादी की ओर से साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य उपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए अपने आपको झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :

01. क्या आरोपी परिवादी कम्पनी का विधिवत वैध कनेक्शनधारी है?
02. क्या आरोपी का विद्युत कनेक्शन बिल की बकाया राशि होने के कारण काट दिया गया था?
03. क्या आरोपी ने कटे हुए विद्युत कनेक्शन को पुनः जोड़कर अनाधिकृत रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया?
04. दण्डादेश यदि कोई हो?

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

नोट:— उक्त सभी विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित हैं, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

05. प्रकरण में परिवादी की ओर से यह आधार लिया एवं परिवाद के समर्थन में साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 के कथन कराए गए हैं, जिसके द्वारा अपने कथनों में घटना दिनांक 11.11.2011 को वह म0प्र0म0क्षे0वि0वि0 कम्पनी लिमिटेड मालनपुर में कनिष्ठयंत्री के पद पर पदस्थ था। आरोपी को कुशवाह कॉलोनी हरीराम पुरा मालनपुर में घरेलू कनेक्शन क्रमांक 72-1-5927 प्रदाय किया गया था जिस पर 68,091/- रुपए की राशि बकाया हो गई थी जिसके लिए आरोपी को प्र.पी. 1 का सूचनापत्र दिया गया था, किन्तु आरोपी ने राशि जमा नहीं की थी। तत्पश्चात् दिनांक 28.11.2011 को आरोपी का कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, जिसकी सूचना प्र.पी. 2 के माध्यम से आरोपी को दी थी। तत्पश्चात् दिनांक 08.12.2011 को निरीक्षण के दौरान कटे हुए विद्युत कनेक्शन का दो सफेद रंग के तार से जोड़कर आरोपी को अप्राधिकृत रूप से उपयोग करते हुए पाया था।

06. प्रकरण में परिवादी का आधार यह है कि आरोपी को विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-1-5927 जारी किया गया था। यदि साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो बचाव पक्ष के सकारात्मक सुझाव में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब नया कनेक्शन किसी उपभोक्ता को दिया जाता है तो उसके मकान के स्वामित्व के दस्तावेज लिए जाते हैं उसके बाद ही दिया जाता है। साथ ही इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि कनेक्शन देने के पूर्व विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा उस जगह का निरीक्षण भी किया जाता है, इसके बाद ही कनेक्शन दिया जाता है। साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 ने अपने कथनों में इन तथ्यों को स्पष्ट किया है कि आरोपी गजेन्द्र को समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् ही विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था। साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 ने अपने कथनों में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि बकाया की राशि जमा करने के लिए उनके कर्मचारी लाखनसिंह ने प्र.पी. 1 का नोटिस आरोपी को दिया था जिसे आरोपी गजेन्द्रसिंह ने प्राप्त किया था और जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साथ ही साक्षी ने इस बात की पुष्टि की है कि राशि जमा न करने पर कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया था और उनके कर्मचारी लाखनसिंह ने प्र.पी. 2 की सूचना आरोपी को दी थी जिस पर आरोपी गजेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर भी हैं। बचाव पक्ष की ओर से प्र.

पी. 1 व 2 के दस्तावेजों पर आरोपी के हस्ताक्षर होने के तथ्यों को इन्कार किया गया है।

07. साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 ने निरीक्षण के दौरान आरोपी ने कनेक्शन को कटे होने के पश्चात् जुड़ा हुआ पाए जाने के संबंध में मौके पर की गई कार्यवाही का पंचनामा प्र.पी. 3 को भी प्रमाणित किया है तथा कार्यवाही के समय आरोपी गजेन्द्रसिंह स्वयं के उपस्थित होने एवं प्र.पी. 3 के पंचनामा पर हस्ताक्षर किए जाने संबंधी कथन साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 ने अपने कथनों में किए हैं और आरोपी ओर से इन तथ्यों को भी अस्वीकार नहीं किया गया है और न ही कोई चुनौती दी गई है।

08. प्रकरण में साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 के कथनों की पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत प्र.पी. 1, 2 व 3 के पंचनामों से भी होती है जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण रिकार्ड पर नहीं है कि आरोपी गजेन्द्रसिंह को मालनपुर में विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-1-5927 प्रदाय किया गया था जिस पर विद्युत बिल का बकाया हो गया था और इसी कारण उसके विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु उसके उपरांत भी दिनांक 08.12.2011 को निरीक्षण के दौरान आरोपी को अवैध रूप से विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया था।

09. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में परिवादी आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

10. परिणामतः आरोपी गजेन्द्र सिंह को विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

11. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्चय:-

12. दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0.एस0 तोमर को सुना गया, उनका कहना है कि आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति होकर अपने परिवार का कमाने वाला एक मात्र सदस्य है, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है, उसे कम से कम दण्ड से दंडित किया जावे। जबकि परिवादी के अधिवक्ता श्री ए0के0 श्रीवास्तव ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित अपराध को देखते हुए उसे कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।

13. प्रकरण की परिस्थिति, प्रावधानित दण्ड को देखते हुए आरोपी गजेन्द्र सिंह वैश्य को भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 10,000/- (दस हजार रुपए) रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में 01 माह का अतिरिक्त साधारण भुगताए जावे।

14. अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर सम्पूर्ण राशि प्रतिकर स्वरूप परिवादी कम्पनी को दिलाई जावे।

15. आरोपी जमानत पर है अतः उसके जमानत मुचलके व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं।

16. आरोपी के निरोध में रहने के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

17. प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0